

सेवा में

परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

महोदय,

केन्द्रीय नियमावली के नियम—११५ के उपनियम (७) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है, प्रमाणपत्र' जारी करने के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में मान्यता/नवीनीकरण प्रदान करने के लिये मैं आवेदन कर रहा हूँ।

- (1) प्रतिष्ठान का नाम.....
- (2) प्रतिष्ठान स्वामी/स्वामियों का नाम :.....
- (3) प्रतिष्ठान की श्रेणी :.....
(मान्यता प्राप्त गोराज/कार्यशाला) पेट्रोल पम्प,
पेट्रोलियम कम्पनी/स्वैच्छिक संस्था)
- (4) भवन का नक्शा :.....
- (5) भू—स्वामित्व/किराय के करार का प्रमाण पत्र :.....
- (6) साझेदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति :
(यदि फर्म पार्टनरशिप में हो तो साझेदार के नाम व पते पृथक—पृथक दिये जांय तथा पार्टनरशिप डीड कि छायाप्रति संलग्न की जाय)
- (7) प्रतिष्ठान स्थापना की तिथि :.....
- (8) किस प्रकार के वाहनों की जांच हेतु मान्यता वांछित है :
(पेट्रोल या डीजल या दोनों)
- (9) विद्युत संयोजन (कनेक्शन) :.....
- (10) आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण :—
 (i) धनराशि :.....
 (ii) रसीद संख्या व दिनांक :.....
- (11) प्रतिष्ठान में उपलब्ध उपकरण का, जिसका प्रोटोटाइप सक्षम एजेन्सी द्वारा अनुमोदित हो बीजक (इनवाइस) अनुदेश प्रपत्र एवं उपलब्ध उपकरणों की सूची। :.....
- (12) वाहनों के इंजन की जांच और मरम्मत के लिये उपकरणों की सूची :.....
- (13) प्रतिष्ठान के अनुमोदित होने का प्रमाण—पत्र :
- (14) विर्निदिष्ट क्षेत्र (केवल सचल केन्द्र की मान्यता हेतु).....

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम

घोषणा पत्र

मैं/हम.....प्रतिष्ठान स्वामी यह घोषित करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनायें वास्तविक हैं तथा प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हेतु प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं। मेरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है और मैंने/हमने 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' विषयक केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में दिये गये निर्देशों एवं प्रतिष्ठान को प्रदूषण जांच केन्द्र की मान्यता से सम्बन्धित मापदण्ड/शर्तों/कार्यप्रणाली/नियमावली में दिये गये निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है और मुझे/हमें सभी शर्तें स्वेच्छा से स्वीकार व मान्य हैं तथा मैं/हम परिवहन आयुक्त के निर्णय व समय पर दिये जाने वाले आदेशों एवं निर्देशों का सदैव पालन करूंगा/करेंगे।

हस्ताक्षर.....
(प्रतिष्ठान स्वामी)